न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 73/2021

1 लक्ष्मीकान्त पुत्र बसन्तीलाल शर्मा निवासी ढ़ाणी हीरानगर (हीराकावाली) तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गिरधारी उर्फ गीदाराम पुत्र मालाराम।
2 जयराम पुत्र मालाराम।
3 सरदाराराम पुत्र मालाराम।
4 रामनिवास पुत्र मालाराम।
5 झाबरमल पुत्र बन्शी समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी हीरा नगर (हीराकावाली) तन ग्राम नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति :

1. श्री शिवकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः–23-1-24

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 23.05.2016 की अवमानना में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 63/2016 में दिनांक 23.05.2016, 01.09.2017 को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया गया था। अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि स्थगन के उपरांत भी रेस्पोडेन्ट ने स्थगन आदेश की अवमानना करते हुए निर्माण कार्य कर लिया है। इससे व्यथित होकर यह अवमानना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 63/2016 में दिनांक 23.05.2016, 01.09.2017 को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया गया था। स्थगन के उपरांत भी रेस्पोडेन्ट ने स्थगन आदेश की अवमानना करते हुए निर्माण कार्य किया है। अतः अवमानना प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को दंडित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर स्थगन के उपरांत निर्माण कार्य का कोई साक्ष्य नहीं है। अवमानना प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति एवं अवमानना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अवमानना प्रार्थना–पत्र के तथ्य साक्ष्य से साबित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर